न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 41 सन 2021

राज्य————————— बनाम —————————विकास

<u>आरोप</u>

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुरजा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप विकास पर निम्न आरोप लगाता हूँः—

प्रथमः यह कि दिनांक 09.09.2020 को समय करीब 23.20 बजे स्थान खुर्जा—अलीगढ़ हाईवे से ग्राम हजरतपुर को जाने वाला कच्चा रास्ता, अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर पर आपने साशय व ज्ञानपूर्वक तथा उन परिस्थितियों में जान से मारने की नीयत से प्रभारी निरीक्षक अखिलेश गौड़ के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी पर आग्नेयास्त्र से फायर किया, जिससे वे बाल बाल बचे, यदि आपके किये गये फायर से किसी भी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 307** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 12.02.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 12.02.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 41 सन 2021

राज्य------------ बनाम ------------विकास

अपराध संख्याः 311 सन 2020

धाराः 307 भा0दं0सं0

थानाः खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त विकास पर जुर्म अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 02.03.2021 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

दिनांकः 12.02.2021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 42 सन 2021

राज्य------------ बनाम ------------विकास

<u>आरोप</u>

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप विकास पर निम्न आरोप लगाता हूँः-

यह कि दिनांक 09.09.2020 को समय करीब 23.20 बजे स्थान खुर्जा-अलीगढ़ हाईवे से ग्राम हजरतपुर को जाने वाला कच्चा रास्ता, अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर पर आपको पुलिस बल द्वारा गिरफतार किया गया तथा जामा तलाशी लेने पर आपके कब्जे से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर, जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा था तथा दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए, जिसे रखने का आपके पास कोई वैध अधिकारपत्र नहीं था, इस प्रकार आपने **आयुध अधिनियम की धारा 3/25** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 12.02.2021
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 12.02.2021
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 42 सन 2021

राज्य————————————   बनाम   ————————————विकास

अपराध संख्याः 312 सन 2020

धाराः 3/25 आयुध अधिनियम

थानाः खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त विकास पर अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 02.03.2021 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)।

दिनांकः 12.02.2021